भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: †2413
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वार्षिक चिकित्सा महाविद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट

†2413. श्री दुरई वाइकोः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने वार्षिक चिकित्सा महाविद्यालय मूल्यांकन प्रतिवेदनों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा एनएमसी को वार्षिक रूप से इन्हें अपलोड करने का निदेश दिए जाने के बावजूद इन रिपोर्टों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए रोक दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुपालन में ऐसे पूर्ण मूल्यांकन और निरीक्षण रिपोर्टों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करती थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों की मूल्यांकन रिपोर्टों में पारदर्शिता और समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेजों का चयन करने वाले छात्र पर्याप्त संकाय, अवसंरचना और रोगियों की संख्या की उपलब्धता के आधार पर एक सूचित विकल्प चुन सकें?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कॉलेजों, पाठ्यक्रमों की मान्यता, सीट मैट्रिक्स, विनियमनों, आवेदन प्रक्रिया, स्नातक/स्नातकोत्तर स्नातकों/डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्रवेश, मेडिकल कॉलेजों का वार्षिक नवीनीकरण, परामर्श प्रक्रिया आदि से संबंधित सभी जानकारी एनएमसी की वेबसाइट पर सक्रिय रूप से प्रदर्शित की जाती है और समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से सभी हितधारकों को सूचित की जाती है।

मांगी गई जानकारी कॉलेजों से संबंधित विशिष्ट विवरणों से जुड़ी है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत तृतीय-पक्ष सूचना के दायरे में आती है। ऐसी जानकारी का खुलासा

कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, विशेषकर जहां इसमें व्यक्तिगत, गोपनीय या व्यावसायिक रूप से संवेदनशील डेटा शामिल हो, और इस संबंध में एनएमसी द्वारा कानूनी राय मांगी जा रही है। आयोग अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा सीआईसी के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

*****